न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03/2018 **दायर दिनांकः 13.03.2018**

उनवान

1. शंकरी बेवा लक्ष्मीनाराण जाति माली व्यासखेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. घनश्याम पुत्र लक्ष्मीनाराण
2. धूलीचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनाराण
3. रमेश पुत्र लक्ष्मीनाराण
4. सुरेश पुत्र लक्ष्मीनाराण जातियान माली निवासीगण व्यासखेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6

निर्णय

दिनांक 15.11.2018

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया वाके ग्राम व्यासखेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की रहने वाली है। जो बुजुर्ग व विधवा महीला है। प्रार्थिया के 4 पुत्र घनश्याम, धूलीचन्द, रमेश, सुरेश है। जिन्होंने प्रार्थिया के बुजुर्ग होने का फायदा उठाकर प्रार्थिया को खाना खुराक भी नही देते है। और किसी प्रकार की सहायता भी नही करते है। प्रार्थिया को घर से बाहर निकाल दिया है, प्रार्थिया बीमार व बुजुर्ग महीला है। कोई काम करके अपना भरण पोषण कर सकती है।

प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से अपने भरण—पोषण व इलाज हेतु भरण अधिनियम 2007 की धारा 6 के तहत राशि 500—500/रूपये कुल 2000/रूपये प्रतिमाह दिलवायी जाने के आदेश किये जाना उचित है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:कियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेश दिये जाते है, कि प्रार्थिया शंकरीबाई को खाना, इलाज हेतु प्रति माह 2000/—रूपये नगद अदा करें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां